



2026:AHC:16878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 14625 वर्ष 2024

साधना चंदेल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: विष्णु कांत तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कांत तिवारी और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह पूर्णतया योग्य और पात्र होने के बावजूद 16.04.2018 को स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त की गई थी। हालांकि, उसे अप्रैल 2021 से इयूटी करने की अनुमति नहीं दी गई है और न ही उसे पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रतिपक्षी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी, जिला झांसी द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिपक्षी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय प्रतिपक्षी इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार दो महीने के भीतर करेगा। यदि द्वितीय प्रतिपक्षी की राय है कि प्रकरण का निर्णय किया जाना आवश्यक है, तो यदि किसी अन्य अधिकारी द्वारा ये दस्तावेज भेजे जाते हैं तो उन्हें भी भेज दिया जाएगा।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)